न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष सं0—3, अम्बेडकरनगर।

जमानत आवेदन सं0—679 / 2026

UPAN010045702026

कन्तऊ उर्फ कान्ताराम आयु लगभग 47 साल पुत्र विशेषर, निवासी ग्राम—दामो बेहर, थाना—ईशानगर, जनपद—लखीमपुर खीरी । .... **अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार। ....**अभियोजक।**

मुकदमा अपराध संख्या—114 / 2026
धारा—305,317(2),317(4),331(4) बी0एन0एस0
थाना—जलालपुर,
जनपद—अम्बेडकर नगर।

03.06.2026

(1). हस्तगत **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त **कन्तऊ उर्फ कान्ताराम** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या—114 / 2026, धारा—305, 317(2), 317(4), 331(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना—जलालपुर, जनपद—अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(2). मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) के तर्क सुने तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

(3). संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी सुषमा निवासी ग्राम भस्मा परगना सुरहूरपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर की ग्राम प्रधान है। प्रार्थिनी के ग्राम सभा भस्मा ग्राम पंचायत भवन में डबल बैटरी, इनवाटर व कैमरा सेट तथा कुछ जरुरी अभिलेख दिनांक 07.04.26 को रात में चोरो ने ताला तोड़कर उठा ले गये सुबह प्रार्थिनी को इसकी सूचना मिली तुरन्त डायल 112 पर फोन की मौके पर पुलिस गई जबकि इसके पूर्व भी चोरी हुयी थी जिसकी सूचना दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जांच कराकर चोरो के ऊपर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त प्रार्थना—पत्र के आधार पर थाना—जलालपुर पर अपराध पंजीकृत किया गया।

(4). अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन में वर्णित अभिकथनों के समर्थन में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी बिल्कुल बेगुनाह है, महज एस0ओ0जी0 अम्बेडकरनगर की मांग पूरी न होने के कारण उपरोक्त मुकदमे में थानाध्यक्ष जलालपुर के उपर नाजायज राजनीतिक दबाव डालकर उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी दिनांक 15.05.2026 से जिला कारागार, अम्बेडकर नगर में निरूद्ध है। प्रार्थी का न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 15.05.2026ई0 को जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी किसी भी प्रकार की घटना में न तो शामिल हुआ है और न ही ऐसी घटना

Digitally signed by CHINTA RAM
Date: 2026.06.03 17:26:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

-

कारित किया है जो मुकदमें में बरामदगी दिखाई गयी हैं, वह फर्जी है। प्रार्थी एक सम्भ्रान्त परिवार का सदस्य है, मुकदमा विचारण दौरान फरार होने व गवाहान पर दबाव डालने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी को जमानत प्रदान करते समय न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा जो भी शर्ते रखी जायेगी, प्रार्थी उसका अक्षरशः पालन करेगा। आरोप एवं मुल्जिम बयान के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

(5). अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता .(दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के ग्राम सभा भस्मा ग्राम पंचायत भवन में डबल बेटरी, इनवाटर व कैमरा सेट तथा कुछ जरूरी अभिलेख ताला तोड़कर चोरी किया गया है। अपराध गम्भीर है। अभियुक्त का विस्तृत आपराधिक इतिहास एवं उसपर 34 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

(6). सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा के ग्राम सभा भस्मा ग्राम पंचायत भवन में रात के समय दिनांक 07.04.2026 को डबल बेटरी, इनवाटर व कैमरा सेट तथा कुछ जरूरी अभिलेख ताला तोड़कर चोरी करने तथा उनकी बनामदगी का अभियोग लगाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध 34 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें कुछ धारा 304/328 भा0दं0सं0, 25 आयुध अधिनियम, 20/8 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, 10 उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 2/3 उ.प्र. गिरोहबंद अधिनियम, धारा–305(1),317(2),331(4) बी0एन0एस0 से संबंधित 12 मुकदमे, धारा 380, 411, 457, भा0दं0सं0 से संबंधित 8 मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने पर उसके पुनः अपराध में संलिप्त होने की सम्भावना है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **कन्तऊ उर्फ कान्ताराम** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–114/2026, धारा–305,317(2),317(4),331(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना–जलालपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(चिन्ताराम)
दिनांक–03.06.2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड–1767